न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 11/2025 राजस्व अपील

1. उम्मेदी पुत्र श्रीया जाति मीना निवासी ग्राम जगरामपुरा पट्टी तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.08.2018 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 252/2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम उम्मेदी अं. धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री सांवलराम मीना अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 09.04.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का जगरामपुरा पट्टी द्वारा एक रिपोट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट ने ग्राम जगरामपुरा पट्टी की राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 119/4 में रकबा 0.05 है. भूमि पर सम्वत 2075 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कतई गलत आधारों पर अपीलान्ट को धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत दोषी मानकर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 29.08.2018 पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। साथ ही प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में मौका जांच कर अतिक्रमण हटा लिये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात् बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके निर्णय पारित कर कानूनी गलती की है। प्रथम दृष्टया अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी प्रकार के जुर्म के साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को दोषी मानते हुये दण्डित किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91(6) एल. आर. एक्ट का एक भी तत्व प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट को दोषी मानकर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट मात्र को आधार मानकर छपे छपाये प्रोफोर्मा पर बिना किसी प्रकार का कोई विवेचन किये उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया। पटवारी हल्का से अपीलान्ट को जिरह का मौका भी नहीं दिया है। पूर्व में अपीलान्ट को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2024 को प्रस्तुत किया गया। जहां पर अपीलान्ट से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर तारीख पेशी 20.8.2024 बताई गई। दिनांक 20.8.2024 को हाजिर होने पर अपीलान्ट को बताया गया कि तुम्हारे प्रकरण का फैसला हो गया है परन्तु यह नहीं बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.08.2018 यथावत है एवं अपीलान्ट को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 29.08.2018 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को दोष मुक्त किये जाने के आदेश पारित करने का श्रम करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:27 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में ग्राम जगरामपुरा पट्टी तहसील बहरावण्डा स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 119/4 रकबा 0.05 है. पर पक्की पाटोल बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट का अतिक्रमण पटवारी हल्का की रिपोर्ट में पश्चातवृति अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 29.08.2018 पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट का ग्राम जगरामपुरा पट्टी तहसील बहरावण्डा स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 119/4 रकबा 0.05 है. पर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत अतिक्रमण शुदा भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 119/4 हाल खसरा नम्बर 178/119 किस्म चारागाह भूमि पर उम्मेद व राजूलाल पुख्ता निर्माण पाटोल, छप्पर पोश घर बनाकर निवास करते थे। वर्तमान में उम्मेद व राजूलाल का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने की स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम जगरामपुरा पट्टी तहसील बहरावण्डा स्थित भूमि खसरा नम्बर 119/4 हाल खसरा नम्बर 178/119 किस्म चारागाह पर से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2018 में बेदखली व पेनल्टी के सम्बन्ध में पारित शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:27 IST
Reason: SelfAttested